फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

रोहताष बनाम **गीता**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 126 सन–2020

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए
30.09.2020	प्रार्थी/सायल की और से जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश होने पर एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र सायल अभिभाषक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण/गैरसायल 1 ता 7 इस आश्य की जारी की जाती है कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 75/80 की 21.9920हैक व रोही मौजा खोपडा के खाता संख्या 98/77 की 24.3540हैक में से आगामी पेशी तक किसी विशेष हिस्से का बेचान नही किया जावे। रास्ते खाला पर स्थगन आदेश लागू नही होगा। यदि इस सम्बध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निधारिंत तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे आगामी तिथि को अस्थायी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 09.11.2020 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	
12.10.20	वकील वादी के निवेदन पर पत्रावली पेश की गई। वकील वादी ने निवेदन किया कि पक्षकारों का आपस में राजीनामा हो गया है इसलिये प्रार्थना पत्र नहीं चलाना चाहते है खारिज करावें। सामने रखा पत्र अवलोकन प्रार्थना पत्र नहीं चलाने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी नोहर	[signatures] 12.10.20

Scanned with CamScanner